

न्यायालय न्याय निर्णयन
पीठासीन अधिकारी-

व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

भिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

78/2024/प्रा.पत्र/2024

16.10.2024

30.05.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन निवासी वार्ड नं0 3 घास भैरू का चौक बडा कुआँ नासिरदा तह. देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मनीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पिनकोड-304507 मोबाईल नं0 9983600797
- 2-मैसर्स मनीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड-304507।
- 3-श्रीमति अलका अग्रवाल पत्नि श्री संजय कुमार धनावत निवासी 66 समर्थ नगर पाली मारवाड प्रोपरायटर मैसर्स गोपाल एन्टरप्राइजेज 5-डी-80 न्यू हाउसिंग बोर्ड पाल मारवाड राज0। पिनकोड-306401
- 4-मैसर्स गोपाल एन्टरप्राइजेज 5-डी-80 न्यू हाउसिंग बोर्ड पाल मारवाड राज0। पिनकोड-306401

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री भरत कुमार जैन उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 30.5.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2024 को समय 01:20 पी.एम. पर मैसर्स मनीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मनीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, मिठाई, बिरिकट नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./ मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।



AdL

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले, मिठाई नमकीन के साथ-साथ दुकान में कागज के एक कार्टून में लगभग 20-22 पैकेट मूल पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम.एल पैक घी(श्री भैरव सरस ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 01 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी-2024 थी, रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं० 5ए में वास्ते नमूना जांच क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह घी(श्री भैरव सरस ब्राण्ड)वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, दुकान में रखे 20-22 मूल पैक पैकड घी(श्री भैरव सरस ब्राण्ड) में से 500-500 एम.एल पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (श्री भैरव सरस ब्राण्ड) 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 एमएल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग को गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3894 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3894 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन निवासी वार्ड नं० 3 घास भैरु का चौक बडा कुआँ नासिरदा तह. देवली जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गोपाल एन्टरप्राइजेज 5-डी-80 न्यू हाउसिंग बोर्ड पाल मारवाड़ का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/391 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/687/एक्ट /2024/900 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्य किया गया घी (श्री भैरव सरस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।



प्रतिरिक्त जिला माजस्ट्रेट टोंक

अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्मात फर्म के प्रतिनिधि श्री भरत कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी(श्री भैरव सरस ब्रण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त घी (श्री भैरव सरस ब्रण्ड) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया घी (श्री भैरव सरस ब्रण्ड) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रुपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नष्ट पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०